दक्ष®

27 मई 2022 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

A Complete Book for

ग्रेड-1st स्कूल व्याख्याता

शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन

- राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं संशोधित अधिनियम-2012
- राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011
- समग्र शिक्षा अभियान (समसा) • कोरोना काल में शैक्षिक नवाचार
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र - Part-V

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 30 अंक सुनिश्चित करें।

डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा

WWW.DAKSHBOOKS.COM

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

[Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009]

1 शैक्षिक प्रबन्धन : अवधारणा, कार्य तथा सिद्धांत
[Educational Management : Concept, Functions and Principles] 1

- शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा 1
- शैक्षिक प्रबन्धन के कार्य 3
- शैक्षिक प्रबन्धन के सिद्धांत 4
- शैक्षिक प्रबन्ध में शिक्षण 5
- प्रबन्धन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य 6
- राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन 6
- प्रारम्भिक शिक्षा 6
- राजस्थान में प्रमुख निदेशालय एवं मुख्यालय 7
- माध्यमिक शिक्षा विभाग 9
- राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग 11
- जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 12
- संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 13
- राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 13
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 14

2 शिक्षा में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन
[Total Quality Management in Education] 16

- सामान्य परिचय 16
- समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबन्ध की प्रक्रिया 17
- समग्र गुणवत्ता के घटक 17
- गुणवत्ता प्रबन्धन के उद्देश्य 17
- समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र 17
- सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध (T.Q.M) के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ 18
- चुनौतियों का समाधान 18
- राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन हेतु प्रयास 18
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 19

3 शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण
[Educational Supervision & Inspection] 21

- शाब्दिक दृष्टि से अर्थ 21
- परिभाषाएँ 21
- शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएँ 21

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति 22
❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र 22
❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता तथा महत्त्व 22
❖ पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण 22
❖ पर्यवेक्षण के प्रकार 22
❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत 23
❖ पर्यवेक्षण की विधियाँ या तकनीकें 23
❖ पर्यवेक्षक (Supervisor) के प्रकार 24
❖ पर्यवेक्षक के कार्य 24
❖ पर्यवेक्षण की शैलियाँ 24
❖ एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण 24
❖ पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में अन्तर 25
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 25

4 संस्थागत नियोजन
[Institutional Planning] 27

❖ संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा 27
❖ संस्थागत नियोजन की आवश्यकता 28
❖ संस्थागत नियोजन की विशेषताएँ 28
❖ संस्थागत नियोजन के उद्देश्य 28
❖ संस्थागत नियोजन के सिद्धान्त 28
❖ संस्थागत नियोजन के क्षेत्र 29
❖ विद्यालय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में संस्था प्रधान की भूमिका 29
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 30

5 शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व शैलियाँ
[Leadership Styles in Educational Management] 32

❖ नेतृत्व की अवधारणा 32
❖ अर्थ 32
❖ नेतृत्व की परिभाषाएँ 32
❖ नेतृत्व की विशेषताएँ 32
❖ नेतृत्व के आवश्यक गुण 33
❖ नेता और नेतृत्व की उपयोगिता एवं कार्य 33
❖ शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व का महत्त्व 33
❖ नेतृत्व की प्रविधियाँ 33
❖ नेतृत्व के सिद्धान्त 33
❖ नेतृत्व के प्रकार 34
❖ नेतृत्व की शैलियाँ 34
❖ नेतृत्व के अन्य प्रकार 35
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 36

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
[SCERT : State Council of Educational Research and Training] 38
- ❖ RSCERT की मुख्य भूमिका/कार्य 38
- ❖ RSCERT/SCERT के प्रभाग 38
- ❖ RSCERT के प्रभाग (Division) तथा सम्बन्धित विभाग 39
- ❖ RSCERT के प्रभागों (Divisions) के कार्य 39
- ❖ RSCERT के कार्य 41
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 41

7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
[BSER : Board of Secondary Education Rajasthan] 43
- ❖ सामान्य परिचय 43
- ❖ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना/संगठन 43
- ❖ बोर्ड सचिव के कर्त्तव्य व शक्तियाँ 44
- ❖ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य 44
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 46

8 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
[IASE : Institute of Advanced Studies in Education] 47
- ❖ सामान्य परिचय 47
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के उद्देश्य 47
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के कार्य 47
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के विभाग 48
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 50

9 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)
[DIET : District Institute of Education and Training] 51
- ❖ सामान्य परिचय 51
- ❖ नोडल एजेंसी 51
- ❖ वित्तीय प्रबन्ध 51
- ❖ डाइट का संगठन/संरचना 51
- ❖ डाइट के उद्देश्य 51
- ❖ डाइट के कार्य 51
- ❖ डाइट के प्रभाग 52
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 53

10 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
[RSOS : Rajasthan State Open School] 54
- ❖ सामान्य परिचय 54
- ❖ राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की विशेषताएँ 54
- ❖ प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क संरचना 56
- ❖ पाठ्यक्रम 58
- ❖ अध्ययन प्रक्रिया 59

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

❖ सार्वजनिक परीक्षा आयोजन 59
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 60

11 राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
[RSTB : Rajasthan State Text Book Board] 61
❖ परिचय 61
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का मुख्य उद्देश्य 61
❖ पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था 61
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम मण्डल का ढांचा/संगठन 61
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के विभाग 62
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के कार्य 62
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 62

12 राज्य में गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल
[SIQE : State Initiative for Quality Education] 63
❖ SIQE की पृष्ठभूमि 63
❖ मुख्य भावनाएँ 64
❖ जिला निष्पादक समिति 66
❖ कार्यक्रम का क्रियान्वयन 67
❖ सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन 67
❖ बाल केन्द्रित शिक्षण विद्या 69
❖ गतिविधि आधारित अधिगम 69
❖ संकुल संदर्भ विद्यालय 70
❖ लैब विद्यालय 70
❖ एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 70
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 70

13 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
[DIKSHA : Digital Infrastructure for Knowledge Sharing] ... 72
❖ DIKSHA 72
❖ DIKSHA-RISE 72
❖ विद्यादान 73
❖ निष्ठा 73
❖ निपुण भारत मिशन 74
❖ पीएम ई विद्या योजना 74
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 75

14 स्माइल : सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट
[SMILE : Social Media Interface for Learning Engagement] 76
❖ स्माइल (SMILE) प्रथम चरण 76
❖ स्माइल द्वितीय चरण (स्माइल 2.0) 76
❖ स्माइल तृतीय चरण 77
❖ SMILE 3.0 कार्यक्रम 78
❖ शिक्षा दर्शन 79
❖ शिक्षावाणी 80

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

❖ मिशन समर्थ 80
❖ ई-कक्षा 80
❖ हवामहल कार्यक्रम 81
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 81

15 समग्र शिक्षा अभियान (समसा) [SMSA : Samagra Shiksha Abhiyan] 83
❖ परिचय 83
❖ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के उद्देश्य 83
❖ समसा का संगठनात्मक ढाँचा 84
❖ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) का प्रबंधन व प्रशासन 84
❖ समग्र शिक्षा अभियान की प्रमुख सिफारिशें 85
❖ समग्र शिक्षा अभियान में संचालित प्रमुख गतिविधियाँ 86
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 89

16 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 [Samagra Shiksha Abhiyan 2.0] 91
❖ समग्र शिक्षा अभिमान 2.0 91
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 93

17 भारतीय शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण आयोग/समितियाँ [Major Commissions/Committees Related to Indian Education] 93
❖ अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य 93
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 95

18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 [National Education Policy-2020] 97
❖ परिचय 97
❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धान्त 97
❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन (उद्देश्य) 98
❖ स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित सुधार 98
❖ स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा 98
❖ शिक्षकों से सम्बन्धित सुधार 99
❖ उच्च शिक्षा में सुधार 99
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 100

19 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 [Right of Children to free & Compulsory Education Act-2009] 101
❖ 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किये गये प्रावधान 101
❖ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 101
❖ राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 109
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 116

20 संक्षिप्त शब्दावली [Abbreviations] 120

1 शैक्षिक प्रबन्धन : अवधारणा, कार्य तथा सिद्धांत
[Educational Management : Concept, Functions & Principles]

शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा

❖ शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा को भली-भाँति समझने के लिए सर्वप्रथम प्रशासन (Administration) तथा प्रबन्धन (Management) के अर्थ को समझना आवश्यक है।

प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning & Definitions of Administration)

❖ प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के Administration शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है।

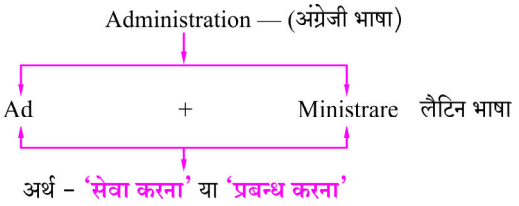

इस प्रकार प्रशासन का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ है **''कार्यों का प्रबन्धन करना''** अर्थात् सही ढंग से कम समय में, कम खर्चे में सामूहिक रूप से कार्य सम्पन्न करना ही प्रशासन है।

❖ **साइमन**—''विस्तृत रूप से समान लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सामूहिक रूप से सहयोगपूर्ण ढंग से की गयी क्रियाएँ ही, प्रशासन हैं।''

❖ **लूथर गुलिक**—''पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही, प्रशासन है।''

❖ **आइवर टीड**—''वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया ही प्रशासन है।''

❖ **पिफनर व प्रैस्थस**—''वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन है।

❖ **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका**—''कार्यों के प्रबन्धन अथवा उनको पूरा करने की क्रिया ही प्रशासन है।''

❖ **एल.डी.व्हाइट**—''किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वयन की कला ही प्रशासन है।''

प्रशासन की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन के निम्न **लक्षण** होते हैं-

1. निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास
2. मानव तथा भौतिक साधनों का समन्वयन
3. सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बहुत से व्यक्तियों का सहयोग
4. संगठन एवं मानवीय सहयोग
5. मानवीय गतिविधियों का निर्देशन एवं नियंत्रण
6. प्रशासन के उद्देश्य तथा इसमें कार्यरत लोगों के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन टकराव नहीं होता।

प्रबन्धन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning & Definitions of Management)

प्रबन्धन उन सभी संगठनों के क्रियात्मक पक्ष से सम्बन्धित है, जो मुख्य रूप से संसाधनों (भौतिक एवं मानवीय) के समुचित सदुपयोग, समन्वय एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका संचालन करता है।

❖ **पीटर ड्रकर**—''प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यापार का प्रबन्ध करता है, प्रबन्ध का प्रबन्ध करता है तथा कर्मचारी एवं कार्य का प्रबन्ध करता है।''

❖ **हेराल्ड कून्ट्ज**—''प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित संगठन के माध्यम से कार्य करवाने की कला है।''

❖ **हेनरी फेयोल**—''प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण करना है।''

❖ **एफ.डब्ल्यू टेलर**—''प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का श्रेष्ठ एवं सरल तरीका क्या है।''

इस प्रकार प्रबंधन संगठन के कार्मिकों हेतु योजना बनाना, उन्हें संगठित करना, उन्हें नेतृत्व प्रदान करना, नियन्त्रित करना तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के समस्त संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है।

प्रशासन एवं प्रबन्धन में अन्तर

❖ प्रशासन तथा प्रबन्धन को समानार्थी माना जाता था, लेकिन **ओलिवर शेल्डन** ने इन दोनों शब्दों को अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया है। इन दोनों में सामान्य अन्तर इस प्रकार है—

❖ **लूथर गुलिक**—शैक्षिक प्रबन्धन के क्षेत्र (Scope) के सन्दर्भ में लूथर गुलिक का POSDCoRB (पोस्डकोर्ब) दृष्टिकोण महत्त्व पूर्ण है। गुलिक ने 7 अंग्रेजी के शब्दों के प्रथम अक्षर से POSDCoRB शब्द बनाया है। यह 'कैसे' (How) से सम्बन्धित है। उर्विक, मूने, रिले, विलोमी इसके समर्थक हैं।

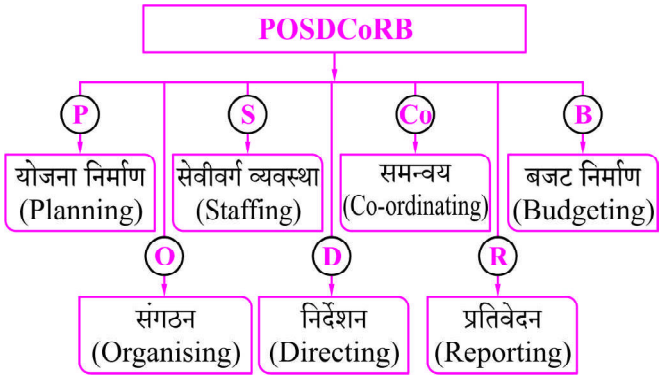

1. **योजना बनाना (Planning)**—किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण चिन्तन-मनन कर रूपरेखा तैयार करना।
2. **संगठित करना (Organising)**—कार्य करने के लिए संगठनात्मक ढाँचा तैयार करना। उच्च स्तर से विद्यालय स्तर तक इसमें भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का संघटन किया जाता है।
3. **सेवीवर्ग की व्याख्या (Staffing)**—संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वित्त की व्यवस्था करना।
4. **निर्देशन (Directing)**—प्रबन्धन सम्बन्धी निर्णय लेने, आदेश-निर्देश देने तथा सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य।
5. **समन्वय (Co-ordinating)**—संगठन के विभिन्न अंगों एवं कार्यों में आपसी तालमेल बैठाना।
6. **प्रतिवेदन (Reporting)**—अधिकारी अथवा कार्मिकों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को समय-समय पर अपने कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी देना, जिससे कार्यों की प्रगति की जाँच हो सके।
7. **बजट (Budgeting)**—संगठन के समस्त आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना।

❖ **लिण्डाल उर्विक**—इन्होने प्रबन्धन के छः कार्य बताएँ हैं

1. पुर्वानुमान
2. योजना
3. संगठन
4. आदेश देना
5. समन्वय
6. नियत्रंण

सामान्य रूप से शैक्षिक प्रबन्धन के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

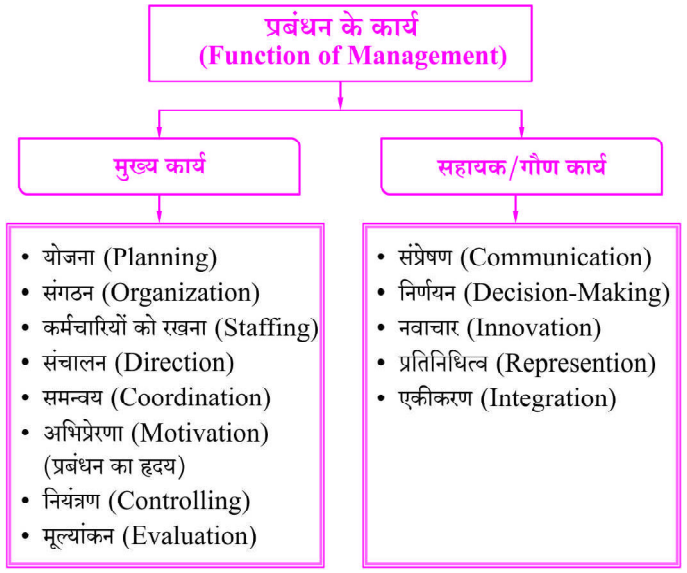

शैक्षिक प्रबन्धन के सिद्धांत (Principles of Educational Management)

विद्यालय प्रबन्धन के सफल संचालन हेतु सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों का समन्वय होना आवश्यक है। एक श्रेष्ठ प्रबन्धनकर्त्ता में सैद्धान्तिक पक्ष के साथ ही व्यावहारिक गुणों का होना भी आवश्यक है। विद्यालय प्रबन्धन के सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं-

1. **सहयोग का सिद्धान्त**—विद्यालय प्रबन्धन में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्त कार्मिकों में आपसी सहयोग की भावना होना आवश्यक है क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। समरसता, अपनत्व की भावना, सौहार्द तथा आपसी सहयोग कार्यस्थल की परिस्थितियों को आनन्ददायी बनाते हैं।
2. **समानता का सिद्धान्त**—संगठन में नियोक्ता-कार्मिक सम्बन्ध तथा उच्चस्थ-अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध विश्वास एवं न्याय पर आधारित होने चाहिए। एक कुशल प्रबन्धक को कार्य व पद के आधार पर अपने कार्मिकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। भेदभावपूर्ण व्यवहार से कार्मिकों में असंतोष उत्पन्न होता है, जिससे साँझा लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
3. **लचीलापन का सिद्धान्त**—श्रेष्ठ विद्यालय प्रबन्ध हेतु प्रबन्धक को सैद्धान्तिक नियमों के साथ मानवीय व्यावहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मानव को मशीन समझने की गलती संगठन हित में नहीं होती है। साथ ही समय के साथ अपने लक्ष्यों एवं नियमों में परिवर्तन भी बदलती स्थितियों के अनुसार करना चाहिए।
4. **साझा उत्तरदायित्व का सिद्धान्त**—सभी कार्मिक अपने कार्य के प्रति एवं विद्यालय के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक नेतृत्व के अन्तर्गत सभी कार्मिक एक बार सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय से सहमत होते हैं एवं उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा. शि./ प्रा. शि. अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समसा एवं प्रधानाचार्य डाईट (DIET) इनके प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

- राज्य के समस्त 9 शिक्षा संभागों/मण्डल/जोन पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किये गये हैं।
- संभाग के समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल

- राज्य में 'स्कूल शिक्षा विभाग' का मुखिया/अध्यक्ष शिक्षामंत्री होता है तथा प्रशासनिक स्तर पर मुखिया 'प्रमुख शासन सचिव' होता है।

राज्य, संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक ढाँचे का फ्लो चार्ट

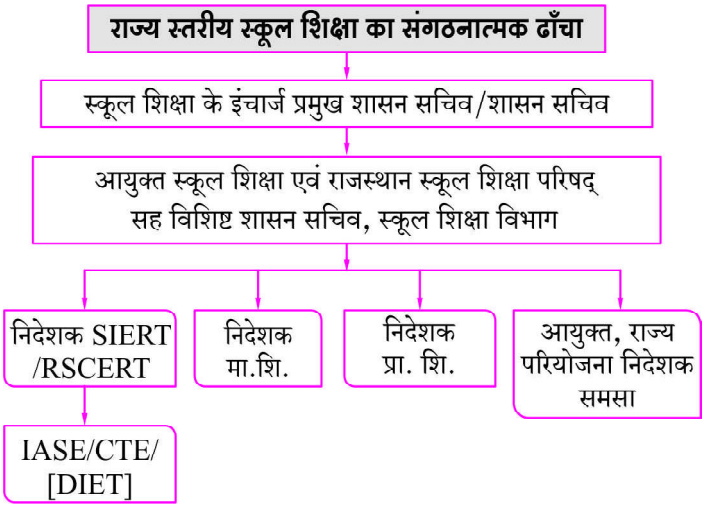

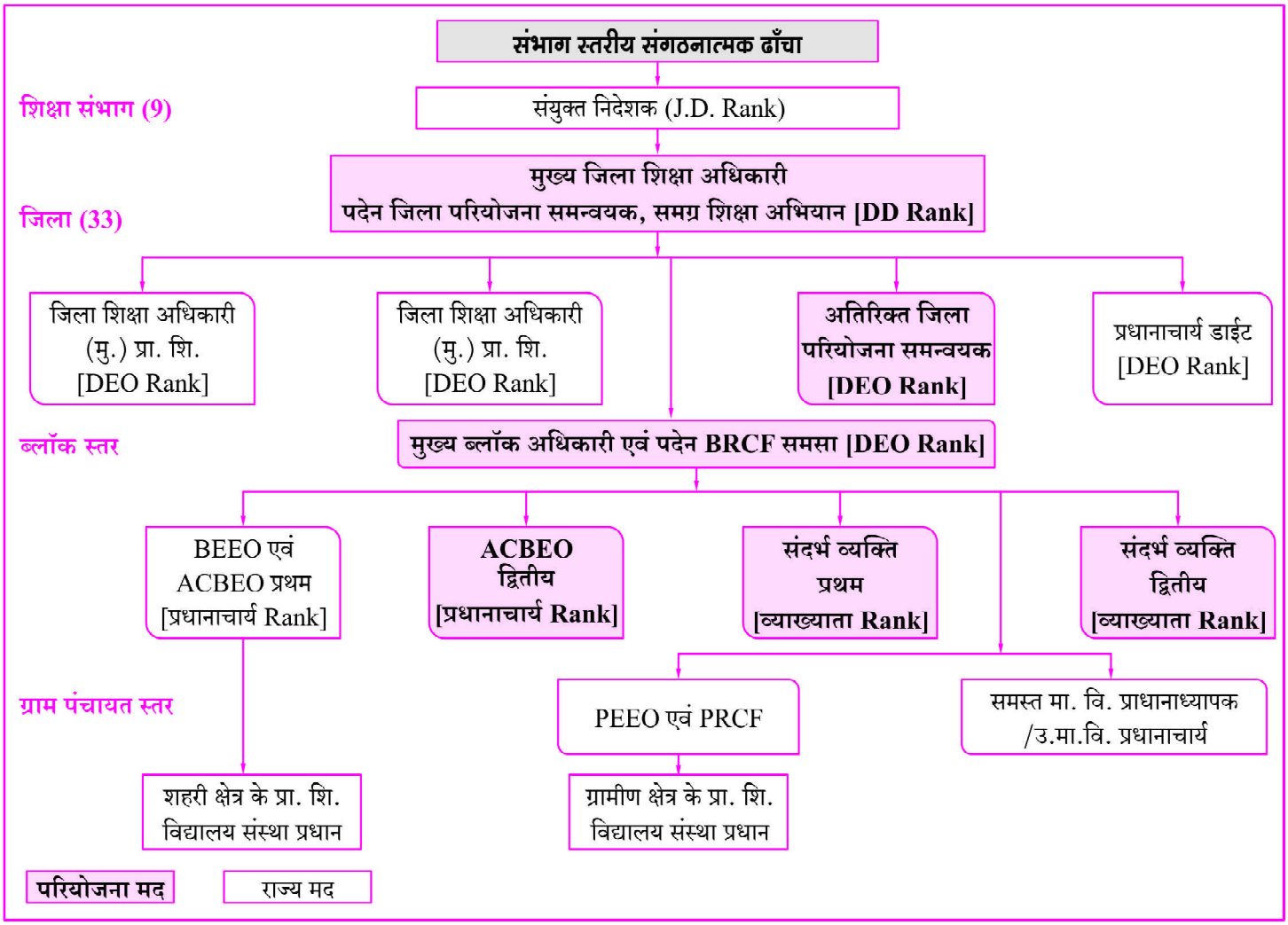

शिविरा

- इसका पूरा नाम **शिक्षा विभाग राजस्थान** है। यह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित **मासिक पत्रिका** है। जिसमें महत्त्व पूर्ण विभागीय परिपत्र एवं आदेश प्रकाशित होते हैं।

❖ शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने में सबसे अधिक योगदान शिक्षक का होता है, अतः इसके लिए निम्न प्रकार के गुणों वाले अध्यापक अधिक प्रभावी होते हैं—

1. उत्तरदायित्व को समझने वाले
2. विषय की पकड़ रखने वाले
3. दूरदृष्टि रखने वाले
4. शोधपरक दृष्टि रखने वाले

समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबन्ध की प्रक्रिया (TQM Process)

TQM की प्रक्रिया के 4 चरण हैं

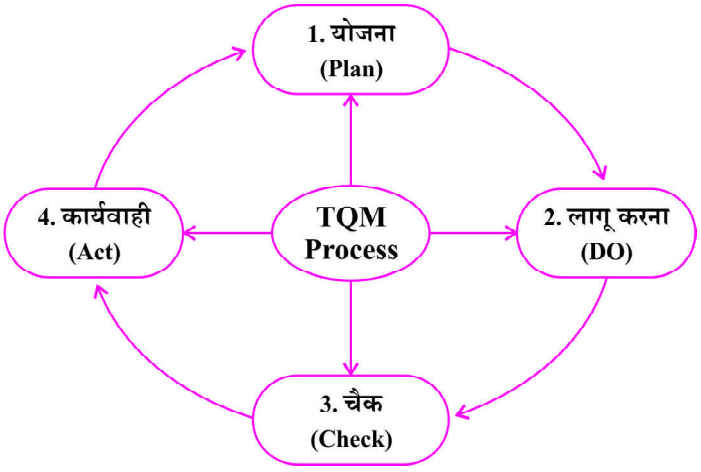

1. **PLAN**—यह TQM का प्रथम चरण है, जिसमें समस्याओं का आंकलन किया जाता है तथा योजना बनायी जाती है।
2. **DO**—यह दूसरा चरण है, जिसमें योजना को क्रियान्वित (Implement) किया जाता है।
3. **CHECK**—इस चरण में द्वितीय चरण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर यह देखा जाता है कि जो योजना बनायी थी उसको कहाँ तक प्राप्त किया गया।
4. **ACT**—यह इसका आखिरी चरण होता है, इसमें संगठन के अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत करके नई योजना को लागू किया जाता है।

समग्र गुणवत्ता के घटक (Components of Total Quality)

❖ विद्यालय प्रबन्धन में सुधार प्रक्रिया के लिए समग्र गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। **डॉ. जमना लाल बायती** ने इस हेतु 5 घटक बताये हैं–

1. छँटनी (Sorting)
2. व्यवस्थापन (Systematization)
3. सुग्राहिता (Sensitize)
4. प्रमाणीकरण (Standardization)
5. आत्मानुशासन (Self Discipline)

प्रो. सिडाना ने समग्र गुणवत्ता के निम्न घटक बताये—

1. उद्देश्य (Objective)
2. लक्ष्य (Goal)
3. दृष्टि (Vision)
4. जुड़ाव (Mission)

गुणवत्ता प्रबन्धन के उद्देश्य (Objectives of Total Quality)

प्रशासन के कार्यों के आधार पर गुणवत्ता प्रबन्धन के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से बाँटा जा सकता है–

1. **सेवा उद्देश्य (Service Objectives)**—यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की सेवा करता है।
2. **सामुदायिक उद्देश्य (Community Objectives)**—समाज एवं देश के हित में शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होना आवश्यक है।
3. **व्यक्तिगत उद्देश्य (Personal objectives)**—किसी भी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति/कर्मचारी के कुछ व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति आवश्यक होती है। संस्था में गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति निम्नानुसार की जा सकती है–उचित मानदेय देकर, उचित कार्य विभाजन तथा उचित समयावधि, प्रबन्ध निर्णयों में सहभागिता, आर्थिक सुरक्षा, विकास के समुचित अवसर, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं सम्मान, कार्य की अनुकूल परिस्थितियाँ आदि उपलब्ध करवाकर।
4. **मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता (Economy and Effectiveness)**—संस्था के पास उपलब्ध समस्त भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र (Scope and Functions of Total Quality)

❖ शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु शैक्षिक प्रशासन को सजग रहना चाहिए। विद्यालय प्रबन्धन में पाठ्यक्रम, समय सारणी, संस्था प्रधान, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक आदि की संयुक्त सत्ता होती है। इस हेतु निम्न कार्य एवं क्षेत्र हैं–

1. **संगठन, नियोजन एवं कार्य विश्लेषण**—किसी भी संगठन में उसके नियोजन (योजना) तथा कार्य विश्लेषण के आधार पर ही तय किया जाता है कि किस कार्मिक से क्या करवाया जाना चाहिए।
2. **मूल्यांकन**—संगठन में कार्य विभाजन, उद्देश्य निर्धारण तथा कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद उनके द्वारा सम्पादित

पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में अन्तर (Difference between Supervision and Inspection)

	निरीक्षण (Inspection)	पर्यवेक्षण (Supervision)
1.	निरीक्षण का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करना है।	पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण कार्यों की वास्तविक सूचना प्राप्त कर आवश्यक सुझाव देना है।
2.	निरीक्षण, पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।	पर्यवेक्षण व्यापक होता है, इसमें शिक्षण तथा प्रोत्साहन दोनों शामिल हैं।
3.	निरीक्षण की आलोचनात्मक प्रकृति है।	पर्यवेक्षण की सुधारात्मक प्रकृति है।
4.	यह कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।	यह विद्यालयों की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास करता है।
5.	निरीक्षण आधिकारिक तथा नियंत्रणात्मक होता है।	पर्यवेक्षण प्रजातांत्रिक तथा सहयोगात्मक होता है।
6.	निरीक्षणकर्ता तथा अधीनस्थों के मध्य शासक-शासित जैसे संबंध होते है।	पर्यवेक्षक तथा अधीनस्थों के मध्य समन्वयात्मक संबंध होते हैं।
7.	निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है।	पर्यवेक्षण में नेतृत्व के गुण होते हैं।
8.	निरीक्षण का नकारात्मक दृष्टिकोण होता है।	पर्यवेक्षण का सकारात्मक व व्यापक दृष्टिकोण होता है।
9.	निरीक्षण में भय का वातावरण होता है।	पर्यवेक्षण में भय मुक्त सहयोगात्मक वातावरण होता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1. पर्यवेक्षण का शाब्दिक दृष्टि से क्या अर्थ है-
(A) देखने की उच्च शक्ति
(B) देखने की सामान्य शक्ति
(C) देखने की निम्न शक्ति
(D) देखने की सकारात्मक शक्ति **[A]**

2. पर्यवेक्षण की निम्न में से कौनसी विशेषता है?
(A) पर्यवेक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात् यह कार्य के दौरान तथा पश्चात् भी होता है।
(B) विद्यालय में स्वच्छ व सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना
(C) समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान ढूँढ़ना
(D) उपरोक्त सभी **[D]**

3. शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है-
(A) विकासोन्मुख (B) समग्रता
(C) रचनात्मकता (D) उपरोक्त सभी **[D]**

4. निम्न में से कौनसा पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका से संबंधित नहीं है?
(A) कक्षा-कक्ष का अवलोकन
(B) शिक्षकों तथा अध्यापकों को दिये जाने वाले कार्यों का अवलोकन
(C) शिक्षकों की योग्यता व क्षमताओं का विकास करना
(D) शिक्षकों द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण **[C]**

5. संस्था प्रधान तथा शिक्षकों की समस्याओं को जानने वाला पर्यवेक्षण का प्रकार है-
(A) निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण (B) नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण
(C) लौकतांत्रिक पर्यवेक्षण (D) रचनात्मक पर्यवेक्षण **[B]**

6. जॉन डी. मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियाँ बतायी हैं?
(A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 6 **[D]**

7. शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया है-
(A) कार्यशाला (वर्कशॉप) (B) संगोष्ठियाँ
(C) क्रियात्मक अनुसंधान (D) उपरोक्त सभी **[D]**

8. एक अच्छे पर्यवेक्षक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए?
(A) साहसी तथा सहनशीलता (B) पहल करने वाला
(C) आलसी प्रवृत्ति वाला (D) तकनीकी ज्ञान वाला **[C]**

9. निरीक्षण से संबंधित सत्य कथन है-
(A) यह केवल तथ्यात्मक सूचना से संबंधित है।
(B) यह व्यापक होता है
(C) यह सकारात्मक होता है
(D) यह सहयोगात्मक होता है **[A]**

विशेषताओं पर निर्भर करता है। नेतृत्व के ये गुण जन्मजात अथवा अर्जित हो सकते हैं।

2. परिस्थितिगत सिद्धान्त (The Situational Theory)

इस विचाराधारा के अनुसार नेतृत्वकर्ता के व्यवहार तथा गुणों पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। एक ही समूह में भी अलग-अलग परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग नेतृत्व विकसित हो सकता है। इस सन्दर्भ में **मिलेट** का कथन है **''नेतृत्व प्राय: परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है।''**

3. अनुयायी सिद्धान्त (The Follower Theory)

इस विचारधारा के अनुसार एक नेतृत्वकर्ता तभी सफल है, जब उसके अधीनस्थ अनुयायी उसे स्वीकार कर लें।

नेतृत्व के प्रकार (Types of Leadership)

I. हेमफिल ने सम्पर्क के आधार पर नेतृत्व की तीन अवस्थाएँ बतायी हैं-

1. **प्रयास नेतृत्व (Attempted Leadership)**–यह सम्पर्क की प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें सम्पर्क स्थापित किया जाता है।
2. **सफल नेतृत्व (Successful Leadership)**–यह सम्पर्क की द्वितीय अवस्था है जिसमें समस्या समाधान हेतु प्रयास किया जाता है।
3. **प्रभावी नेतृत्व (Effective Leadership)**–इस अवस्था में समस्या समाधान के प्रतिफल प्राप्त होते हैं।

II. बोगार्डस ने नेताओं के कार्यों के आधार पर नेतृत्व के तीन प्रकार बताये हैं-

1. **मानसिक नेतृत्व (Mental Leadership)**–इसमें नेता के विचार ही अनुयायियों को प्रभावित करते हैं, चाहे नेता व अनुयायियों में प्रत्यक्ष सम्पर्क ना हो। उदाहरण-दार्शनिक
2. **सामाजिक नेतृत्व (Social Leadership)**–इसमें नेता व अनुयायियों के मध्य सामाजिक सम्पर्क आवश्यक है।
3. **अधिशासी नेतृत्व (Executive Leadership)**–यह मानसिक नेतृत्व व सामाजिक नेतृत्व का मिश्रित रूप है।

नेतृत्व की शैलियाँ (Leadership Styles)

❖ अधीनस्थों के पर्यवेक्षण के दौरान किसी नेता द्वारा किया जाने वाला व्यवहार या आचरण नेतृत्व शैली के नाम से जाना जाता है।

I लेविन, लिपिन तथा व्हाइट के अनुसार नेतृत्व शैलियाँ

इन्होंने नेतृत्व की **तीन शैलियाँ** बतायी हैं—

1. लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली (Democratic Leadership)

इसे 'सहभागिता अथवा विकेन्द्रीकृत शैली भी कहा जाता है इस नेतृत्व शैली की निम्न विशेषताएँ हैं—

- संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों का सहयोग लिया जाता है तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में इनकी सहभागिता होती है।
- नेता द्वारा अंतिम निर्णय नहीं करके, केवल विकल्प सुझाया जाता है।
- समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता होती है तथा भयमुक्त वातावरण होता है।
- नेता यह विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएँ तथा योग्यताएँ हैं।
- संगठन में सभी का आदर होता है तथा तनाव व संघर्ष नहीं पाया जाता है।
- संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है तथा आलोचना या प्रंशसा के सम्बन्ध में नेता तटस्थ रहता है।
- अधीनस्थों का मनोबल तथा संतुष्टि बढ़ती है।
- यह नेतृत्व की **सर्वोत्तम शैली** मानी जाती है।

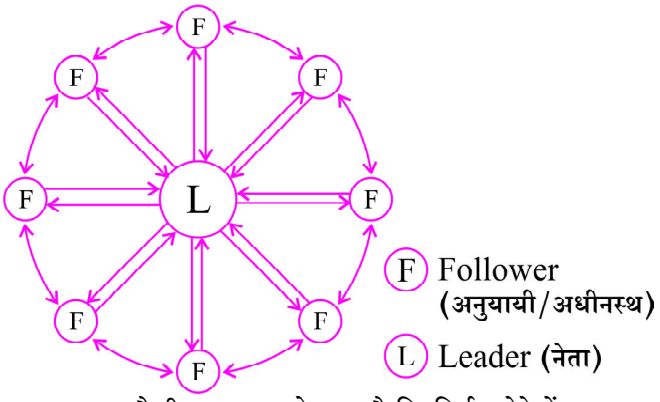

- इस शैली का प्रमुख दोष यह है कि निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होने से संगठन की गुणवत्ता में कमी होती है।

2. निरकुंश या एकतंत्रीय नेतृत्व शैली (Autocratic Leadership)

- यह लोकतांत्रिक शैली के बिल्कुल विपरीत शैली है।
- इसमें केवल एकतरफा संचार होता है अर्थात् ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में नेता अधीनस्थों से परामर्श तथा सहयोग नहीं लेता है।
- नेता द्वारा ही नीति निर्माण, निर्णय, आदेश तथा मार्गदर्शन निर्धारित होता है तथा स्वयं ही परिवर्तन करता है।

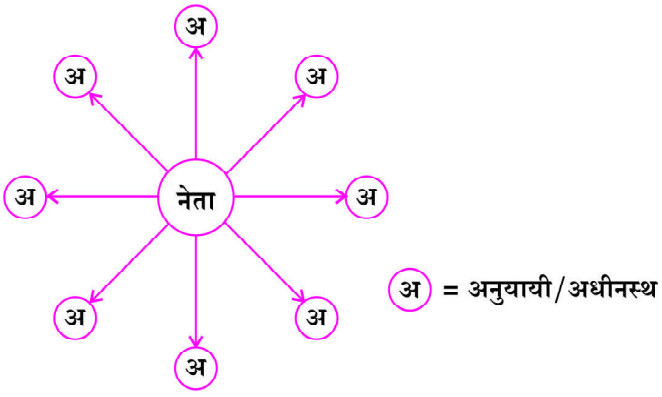

6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद [SCERT : State Council of Educational Research and Training]

- विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु शैक्षिक योजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर NCERT की स्थापना की गयी है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर SCERT की स्थापना की गयी है।
- सर्वप्रथम तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में सन् **1963** में **''राज्य शिक्षा संस्थान''** (State institute of Education: SIE) खोले गये।
- राजस्थान में **प्रो. आर. सी. मेहरोत्रा** समिति की सिफारिश के आधार पर **''राज्य शिक्षा संस्थान''** (SIE) के स्थान पर **11 नवम्बर 1978** को **उदयपुर** में **'राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'** (State Institute of Educational Research and Training, SIERT) की स्थापना की गयी।
- **14 अगस्त 2018** को SIERT का पुनर्गठन करके इसका नाम **''राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद''** (RSCERT : Rajasthan State Council of Educational Research and Training) किया गया।
- RSCERT एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- इसका वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार करती है।
- **राष्ट्रीय स्तर** पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु **NCERT सर्वोच्च संस्था** है।
- **राज्य स्तर** पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु **RSCERT** उदयपुर **''सर्वोच्च अकादमी संस्था''** है।

RSCERT का संगठनात्मक ढाँचा

14 अगस्त 2018 को पुनर्गठन के बाद RSCERT का संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है–

निदेशक (IAS/RAS)
↓
अतिरिक्त निदेशक (RES)
↓
प्रोफेसर (1) (संयुक्त निदेशक के समकक्ष)
↓
प्रोफेसर-I (04) (उपनिदेशक के समकक्ष)
↓
प्रोफेसर-II (01) (DEO के समकक्ष)
↓
एसोसिएट प्रोफेसर (10) (प्रधानाचार्य के समकक्ष)
↓
सहायक प्रोफेसर (20) (व्याख्याता के समकक्ष)

RSCERT की मुख्य भूमिका/कार्य

1. राज्य में **विद्यालय शिक्षा** (School Education) तथा **शिक्षक शिक्षा** (Teacher Education) के लिए शैक्षिक योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा गुणात्मक उन्नयन के लिए **सर्वोच्च अकादमिक संस्था** (Academic Organization) है।
2. आयुक्तालय, प्राथमिक शिक्षा तथा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को शैक्षिक सलाह देना।
3. RTE 2009 धारा (29) के तहत राज्य सरकार द्वारा **''बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011** के भाग-7 के तहत RSCERT को **'समुचित शैक्षिक प्राधिकारी'** बनाया गया है।
4. यह **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों** (DIET'S) **उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों** (IASE) तथा CTE को **शैक्षिक मार्गदर्शन, नेतृत्व** एवं **सम्बलन** प्रदान करती है।
5. यह राज्य के **शिक्षा विभाग** को **शैक्षिक उन्नयन** हेतु सलाह प्रदान करती है।
6. यह विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए एक 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करती है।
7. शैक्षिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्य।

RSCERT/ SCERT के प्रभाग [Division of RSCERT]

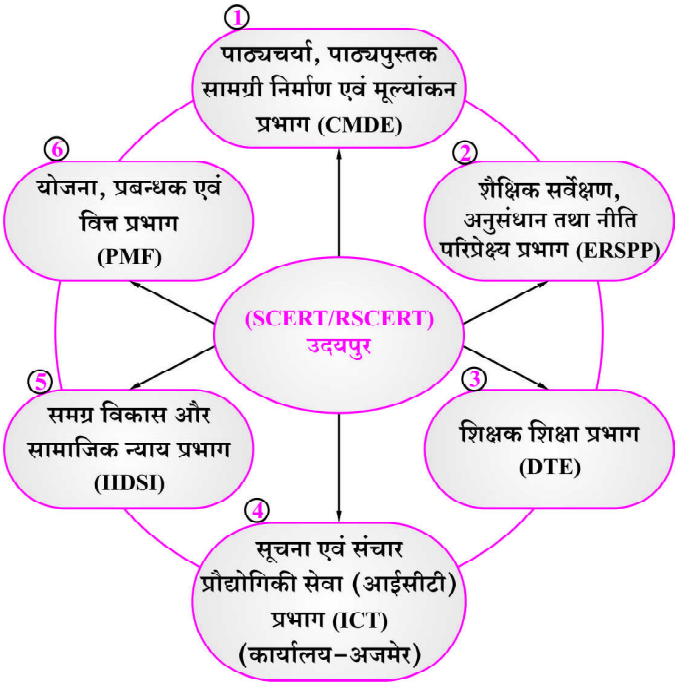

5. आई.ए.एस.ई, सी.टी.ई. तथा सभी जिलों की डाइट (DIET) को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं सम्बलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेन्सी है— [स्कूल व्याख्याता– 2015]
(A) एस.आई.ई.आर.टी (B) रमसा
(C) एसएसए (D) आर एस टी बी **[A]**

6. एस.सी.ई.आर.टी. राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? [प्रधानाध्यापक (मा.शि.)– 2011]
(A) उदयपुर (B) जयपुर
(C) अजमेर (D) बीकानेर **[A]**

7. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली 'नोडल' संस्था कौनसी है? [प्रधानाध्यापक (मा.शि.)– 2011]
(A) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
(B) राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल
(C) राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
(D) राजस्थान आरम्भिक शिक्षा परिषद **[C]**

8. RSCERT संस्था की प्रकृति है—
(A) स्वायत्तशासी (B) केन्द्र सरकार के अधीन
(C) NCVT के अधीन (D) मा.शि. बोर्ड के अधीन **[A]**

9. शैक्षिक क्षेत्र में RSCERT की भूमिका नहीं है—
(A) निदेशक प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक सलाह देना
(B) NCERT को शैक्षिक मार्गदर्शन देना
(C) विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना
(D) IASE, DIET तथा CTE को शैक्षिक मार्गदर्शन देना **[B]**

10. RSCERT में प्रभागों की संख्या है—
(A) 9 (B) 6 (C) 7 (D) 8 **[B]**

11. RSCERT का कौनसा प्रभाग परिषद के (उदयपुर) परिसर में स्थित ना होकर अजमेर में स्थित है?
(A) समग्र विकास तथा सामाजिक न्याय प्रभाग
(B) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग
(C) शिक्षक शिक्षा प्रभाग
(D) शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग **[B]**

12. वर्तमान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का कार्य नहीं है—
(A) कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम का निर्धारण
(B) कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा हेतु ब्लू प्रिंट तैयार करना
(C) सेवारत शिक्षकों, मंत्रालयिक कार्मिकों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण
(D) कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन **[D]**

13. RSCERT के पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग का निम्न में से कौनसा कार्य नहीं है?
(A) पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना
(B) पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करना
(C) गुणात्मक शिक्षा हेतु अधिगम सामग्री तैयार करना
(D) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना **[D]**

14. RSCERT का अकादमिक स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी है—
(A) निदेशक (B) शिक्षा मंत्री
(C) अतिरिक्त (D) शिक्षा सचिव **[A]**

15. RTE Act 2009 की किस धारा के तहत RSCERT को 'समुचित शैक्षिक प्राधिकारी' बनाया गया है?
(A) धारा 29 (B) धारा 27
(C) धारा 7 (D) धारा 38 **[A]**

16. RSCERT/SCERT के 6 प्रभागों के अलावा तीन प्रमुख अनुभाग हैं, उनमें से निम्न में से कौनसा एक नही है?
(A) खाता अनुभाग (B) कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुभाग
(C) पुस्तकालय अनुभाग (D) स्थापना अनुभाग **[B]**

17. RSCERT के प्रभागों के कार्य से संबंधित समग्र विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग से संबंधित कार्य है—
(A) CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के लिए समावेशी शिक्षा की कार्य योजना बनाए तथा क्रियान्वयन करना।
(B) संस्था प्रधान PEEO, DEO स्तर के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन मॉड्यूल तैयार करना।
(C) DIET, IASE तथा CTE द्वारा किए जाने वाले शोध कार्यों की समीक्षा करना।
(D) संस्थापन संबंधी कार्य **[A]**

18. निम्न में से RSCERT के प्रभागों में से शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग से संबंधित कार्य नहीं है। —
(A) NMMS परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त कार्य करना।
(B) समसामयिक शैक्षिक विषयों पर अध्ययन की कार्य योजना बनाना।
(C) DIET, CTE, IASE द्वारा किए जाने वाले शोध कार्यों की समीक्षा करना।
(D) सम्पर्क पोर्टल, RTE, निविदाएँ आदि से संबंधित कार्य करना। **[D]**

19. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण D.El.Ed.(BSTC) के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री तैयार करना आदि कार्य निम्न में से RSCERT के कौनसे प्रभाग से संबंधित है? —
(A) शिक्षक शिक्षा प्रभाग
(B) शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग
(C) पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग
(D) योजना, प्रबन्धन एवं वित्त प्रभाग **[A]**

20. निम्न में से गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु SIQE, CCE, CCP के उपकरण विकसित करना तथा आयु अनुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना आदि कार्य RSCERT के प्रभागों के कार्यों में से किस प्रभाग का कार्य है?
(A) पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग
(B) शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग
(C) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग
(D) समग्र विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग **[A]**

7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
[BSER : Board of Secondary Education Rajasthan]

सामान्य परिचय

- माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने हेतु **23 सितम्बर 1952** को **लक्ष्मण स्वामी मुदालियर** की **अध्यक्षता** में माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) का गठन किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु भारत के प्रत्येक राज्य में **'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड'** गठित करने की **सिफारिश** की।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के तहत 1 अगस्त 1957 को सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गयी।
- **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957** की धारा 3 के तहत **4 दिसम्बर 1957** को जयपुर में **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।**
- **सन् 1961** में पी. सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर इसे जयपुर से **अजमेर** में स्थानान्तरित किया गया।
- **1973** में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपने **वर्तमान नवीन भवन में स्थापित** किया गया।
- राज्य में माध्यमिक शिक्षा की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील ढंग पर विकसित करने की दृष्टि से, ऐसी शिक्षा का पुनः संगठन, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है। भारत गणराज्य के **आठवें वर्ष** में राजस्थान राज्य विधान मण्डल यह अधिनियम बनाता है। **(राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957)**
- **बोर्ड का ध्येय वाक्य:** "सिद्धिर्भवति कर्मजा" है।
- **बोर्ड का लोगो:** राजस्थान के मानचित्र में **विजयस्तम्भ** बना है जिसके एक ओर पुस्तक तथा दूसरी ओर जलता हुआ दीपक है।
- **बोर्ड की वेबसाइट** http://rjeduboard.rajasthan.gov.in

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना/संगठन (Organisation Setup of BSER)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में धारा 16 (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957) के अनुसार नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे जो **मूल अधिनियम 1957 के अनुसार तथा अक्टूबर 2018 में संशोधन** के पश्चात इस प्रकार हैं–

क्र.स.	सदस्य का प्रकार/विवरण	कुल संख्या
1.	अध्यक्ष (Chairman)	1
2.	उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य (Ex-officio members)	7
3.	विश्वविद्यालयों से निर्वाचित सदस्य (Elected members)	8
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा निर्वाचित संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य	2
5.	शिक्षक संघ प्रतिनिधि	2
6.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	17
7.	विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य	2
8.	सहवरण सदस्य (जो विशिष्ट शिक्षाविद् हों) (Co-opted members)	2
	कुल योग	41

- पूर्व में कुल सदस्य संख्या 36 थी, जो वर्तमान में 41 है। अक्टूबर 2018 में राज्यपाल महोदय द्वारा 5 सदस्य बढ़ाये गये, जो इस प्रकार हैं—
  - **एक,** विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित सदस्य
  - **दो,** राजस्थान वि.वि.सीनेट द्वारा निर्वाचित संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
  - **दो,** शिक्षक संघ प्रतिनिधि सदस्य
- वर्तमान में बोर्ड चेयरमैन के स्थान पर **लक्ष्मीनारायण मंत्री (IAS)** को **प्रशासक के रूप** में लगा रखा है तथा बोर्ड **सचिव मेघना चौधरी** (RAS) हैं।
- बोर्ड अध्यक्ष **राज्य सरकार द्वारा मनोनीत** होता है तथा इसका **कार्यकाल 3 वर्ष** होता है।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड, का **उपाध्यक्ष** एवं पदेन सदस्य होता है।
- बोर्ड का **कार्यकाल तीन वर्ष** का होता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1. राजस्थान के किन दो जिलों में आई.ए.एस.ई. स्थित है?
[स्कूल व्याख्याता (संस्कृत शिक्षा)-2020]
(A) अजमेर, जयपुर (B) जयपुर, उदयपुर
(C) अजमेर, जोधपुर (D) अजमेर, बीकानेर **[D]**

2. निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) प्रशिक्षण प्रदान करता है?
[स्कूल व्याख्याता-2011]
(A) वरिष्ठ अध्यापक अथवा द्वितीय श्रेणी अध्यापक
(B) शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक
(C) शाला व्याख्याता
(D) द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक **[B]**

3. राज्य में सर्वप्रथम स्थापित IASE है—
(A) अजमेर (B) बीकानेर (C) चूरू (D) सिरोही **[B]**

4. IASE की स्थापना किस वर्ष की गयी—
(A) 1987-88 (B) 1989-90
(C) 1985-86 (D) 1984-85 **[A]**

5. IASE का पूरा नाम क्या है
(A) Institute of Advanced Studies in Education
(B) Institute for Advance Story in Education
(C) Institute for Acadmic Studies in Education
(D) Institute for Advance Studies in Education **[A]**

6. IASE में कुल कितने विभाग हैं?
(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 6 **[A]**

7. IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है?
(A) कॉलेज शिक्षा निदेशालय (B) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
(C) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (D) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **[B]**

8. IASE स्थापना के उद्देश्य है?
(i) प्राथमिक शिक्षा हेतु BSTC करवाना
(ii) माध्यमिक शिक्षा हेतु B.Ed करवाना
(iii) प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु दक्ष प्रशिक्षण तैयार करना
(iv) M.Ed तथा Ph.D करवाना
(A) केवल i, ii (B) केवल i, ii, iv
(C) केवल ii, iii, iv (D) उपरोक्त सभी **[C]**

9. शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी नवाचारों से संबंधित विभाग कौनसा है?
(A) प्राथमिक शिक्षा विभाग (B) शैक्षिक योजना विभाग
(C) शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (D) शोध विभाग **[C]**

10. IASE बीकानेर की सम्बद्धता किस विश्वविद्यालय से है?
(A) राजस्थान वि. वि. जयपुर
(B) महाराजा गंगासिंह वि. वि. बीकानेर
(C) महर्षि दयानन्द सरस्वती वि. वि. अजमेर
(D) उपरोक्त **[B]**

11. भारत में वर्तमान में कितने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) संचालित है?
(A) 32 (B) 26
(C) 29 (D) 27 **[C]**

12. निम्न में से IASE से संबंधित कौनसा विभाग नहीं है?
(A) सेवारत शिक्षा एवं प्रसार विभाग
(B) शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग
(C) विशिष्ट शिक्षा विभाग
(D) माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा विभाग **[D]**

13. IASE अजमेर की सम्बद्धता निम्न में से किस विश्वविद्यालय से है?
(A) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
(B) राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर
(C) महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
(D) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर **[A]**

14. ''राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान अजमेर'' को IASE का दर्जा कौनसे वर्ष में मिला?
(A) 1988–89 (B) 1890–91
(C) 1991–92 (D) 1986–87 **[A]**

15. उच्च शिक्षा संस्थान के उद्देश्यों में से कौनसा निम्न में से नहीं है?
(A) कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर ''On site support'' प्रदान करना।
(B) M.Ed, M.Phil, Ph.D हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाना।
(C) माध्यमिक स्तर पर प्रयोग तथा शैक्षिक अनुसंधान कार्य संपन्न करवाना।
(D) उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करना। **[D]**

16. निम्न में से कौनसा कार्य IASE से संबंधित नहीं है?
(A) माध्यमिक विद्यालयों और विद्यालय संगमों को नवाचारों से अवगत करवाना।
(B) शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शन कार्यक्रमों का संचालन करना।
(C) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों के आवास व भोजन का प्रबंध करना।
(B) डाइट तथा सीटीई को अकादमिक निर्देशन प्रदान करना। **[C]**

10 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल [RSOS : Rajasthan State Open School]

सामान्य परिचय

- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय) की स्थापना **''राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958** (राजस्थान अधिनियम संख्या 28/1958) द्वारा पंजीकरण क्रमांकः 741/जयपुर/2004-05 द्वारा **21 मार्च 2005** को एक **स्वायत्तशासी संस्था** के रूप में की गयी। इसका मुख्यालय **शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जयपुर में है।**
- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) का मुख्य उद्देश्य **माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, औपचारिक शिक्षा से वंचितों तथा जिन अभ्यर्थियों ने किसी कारणवश विद्यालयी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ दी, उन्हें माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) की शिक्षा प्रदान करना है।**
- RSOS उन लोगों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाता है जो अपने बेहतर कल के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
- RSOS का मिशन उन लोगों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक रूप से किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई निरन्तर जारी नहीं रख सके, विशेष रूप से लड़कियाँ और महिलाएँ, ग्रामीण युवा, कामकाजी महिला-पुरुष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग (दिव्यांग) तथा अन्य वंचित लोग।
- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा राज्य में **472** मान्यता प्राप्त संस्थान (Accredited Institutions, AIS) संचालित हैं जिन्हें **'अध्ययन केन्द्र'** के नाम से जाना जाता है।
- RSOS एक पंजीकृत समिति है जो **दूरस्थ** तथा **मुक्त शिक्षा प्रणाली** (Open learning System) से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती है।
- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) जैसी संस्थाओं के सहयोग से 12वीं तक की परीक्षाओं का आयोजन करती है।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की विशेषताएँ

- पाठ्यक्रम की सरलता एवं शिक्षा की सहजता के साथ-साथ परीक्षा का लचीलापन, स्टेट ओपन स्कूल की प्रमुख विशेषता है। इसमें विद्यार्थी तनावमुक्त होकर अपनी सुविधानुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, अपने ज्ञान, अनुभव का सुदृढ़ीकरण व संवर्द्धन करता है, जिससे विद्यार्थी को आत्म सन्तोष मिलने से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्टेट ओपन स्कूल की **सामान्य विशेषताएँ** इस प्रकार हैं–

1. ऑनलाइन पंजीयन

अभ्यर्थी को राज्य में स्थित सन्दर्भ केन्द्रों पर अपना पंजीयन निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन करवाते समय आवश्यक मूल दस्तावेज एवं फोटोकॉपी, शुल्क सहित जमा करवाकर शुल्क की ऑनलाइन रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. आयु सीमा एवं प्रवेश योग्यता

प्रवेश के लिए **कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं** है। परन्तु **माध्यमिक पाठ्यक्रम** में नामांकन हेतु **न्यूनतम आयु 14 वर्ष** तथा **उच्च माध्यमिक** पाठ्यक्रम हेतु कक्षा **10वीं उत्तीर्ण** तथा न्यूनतम आयु सीमा **15 वर्ष** है।

3. विषय चयन

- औपचारिक शिक्षा पद्धति के विपरीत RSOS में विषय चयन की स्वतंत्रता है। अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता अनुसार विषयों का चयन कर सकता है। **हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम** से अध्ययन तथा परीक्षा की व्यवस्था है।
- माध्यमिक पाठ्यक्रम के **17 विषयों** में से **कोई 5 विषय** तथा उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के **21 विषयों** में से कोई भी 5 विषयों का चयन करने की सुविधा है।
- पंजीयन के समय एक अथवा दो अतिरिक्त विषयों का चयन भी कर सकते हैं।
- अध्ययन सामग्री RSOS की बेवसाइट पर उपलब्ध है। (सिंधी भाषा को छोड़कर)।

4. क्रेडिट संचय

एक छात्र किसी भी परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में उपस्थित होना चुन सकता है और क्रेडिट अर्जित कर सकता है, जो पंजीकरण के **पाँच साल** की अवधि के भीतर प्रमाणन के लिए आवश्यक सभी पाँच विषयों को सफलतापूर्वक पूरा करने तक जमा किया जाएगा।

5. क्रेडिट का स्थानांतरण

- मान्यता प्राप्त **73 बोर्डों** से पिछले 4 वर्षों के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी

12 राज्य में गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल [SIQE : State Initiative for Quality Education]

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर तथा गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए राज्य में संचालित, समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 **से** 10 एवं कक्षा 1 **से** 12 तक) में **कक्षा 1 से 5 तक में, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से सत्र 2015-16** से **''स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन''** (SIQE) परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

SIQE की पृष्ठभूमि

- RTE Act 2009 के प्रावधान अनुसार राजस्थान में **'सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन** (CCE) की शुरुआत **मई 2010** (सत्र 2010-11) में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दो जिलों **जयपुर तथा अलवर** के 60 विद्यालयों से की गयी, जिसमें 40 विद्यालय अलवर जिले के तथा 20 विद्यालय जयपुर जिले के थे। सत्र **2015-16** से इसे राज्य के सम्पूर्ण समन्वित विद्यालयों में लागू किया गया।

बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की समन्वित प्रक्रिया के संचालन सम्बन्धी निर्देश तथा प्रावधान

- कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/प्राशि/SIQE/दिशा-निर्देश/19568/2019/1656 दिनांक 17.09.2020 के अनुसार SIQE प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं—
- बच्चों के सर्वांगीण विकास करने वाले पाठ्यक्रम, बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण योजना तथा सतत् एवं व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए **SIQE कार्यक्रम में तीन कार्यक्रम समन्वित रूप से संचालित किए गए—**
  1. बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP)
  2. गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL)
  3. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE)
- इन तीनों समन्वित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के **सीखने के प्रतिफल** (Learning out comes) के अनुरूप शैक्षिक स्तर का उन्नयन, विद्यार्थियों में रचनात्मक/सृजनात्मक क्षमता तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्तःक्रिया का विकास करना है। जहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो और संस्था प्रधान/शिक्षक इसमें मददकर्ता की भूमिका में हो। प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाये जाएँ तथा उनका सतत् मूल्यांकन करते हुए निरन्तर सुधार हेतु प्रयास किए जाएँ।

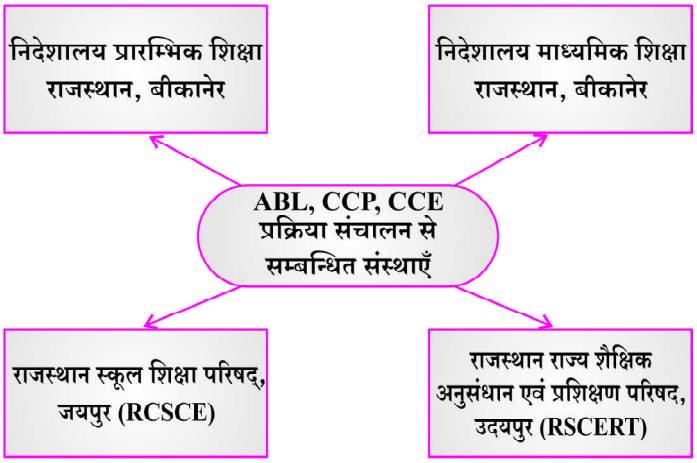

- प्रारम्भ में परियोजना की सहयोगी संस्थाएँ निम्न थी–
  1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
  2. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
  3. बोध शिक्षा समिति
  4. SIERT उदयपुर
  5. यूनिसेफ

SIQE परियोजना के उद्देश्य

1. राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) में अध्ययनरत **कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि** सुनिश्चित करना।
2. बाल केन्द्रित विधा (Child Centered Pedagogy) सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) तथा गतिविधि आधारित अधिगम

पश्चात् एक व्यापक कार्य पत्रक/प्रश्न पत्र द्वारा **बच्चों का आंकलन करना, आधार रेखा निर्धारण कहलाता है।**

इस आंकलन के आधार पर बच्चों को दो समूहों में बाँटा जाता है—

- ✧ **समूह–1:** वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुसार दक्षता रखते हैं।
- ✧ **समूह–2:** वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुसार दक्षता नहीं रखते अर्थात् अपनी कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले हैं।

❖ यहाँ यह आवश्यक है कि शिक्षक, समूह–2 के बच्चों हेतु बाल केन्द्रित शिक्षण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा इनके साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए समूह–1 में लाने का अधिकतम प्रयास करें।

❖ सत्र 2020-21 से COVID-19 के कारण पूर्व प्रवेशित तथा नव प्रवेशित सभी बच्चों का आधार रेखा प्रपत्र तैयार करते हुए मूल्यांकन किया जाएगा।

2. एक अकादमिक (शैक्षिक) सत्र के लिए योजना एवं आंकलन की संरचना—प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए **एक शिक्षण सत्र को तीन टर्म** में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रत्येक टर्म के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीखने के प्रतिफल (Learning out comes) के अनुसार शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है।

CCE/ SIQE शिक्षण योजना पाठ्यक्रम विभाजन

टर्म	अवधि	गतिविधि	आंकलन	पाठ्यक्रम विभाजन
प्रथम टर्म	1 जुलाई से 15 जुलाई तक	नवप्रवेश, पोटफोलियो, बेस लाइन/पदस्थापन समूह निर्धारण		कुल पाठ्यक्रम का 45%
	15 अगस्त तक	रचनात्मक आंकलन–1	FA-1	
	26 नवम्बर तक	रचनात्मक आंकलन–2	FA-2	
	सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में	योगात्मक आंकलन–1	SA-1	
द्वितीय टर्म	1 अक्टूबर से 30 नवम्बर	रचनात्मक आंकलन–1	FA-1	कुल पाठ्यक्रम का 40%
	1 दिसम्बर से 26 जनवरी	रचनात्मक आंकलन–2	FA-2	
	जनवरी का अन्तिम सप्ताह	योगात्मक आंकलन–2	SA-2	
तृतीय टर्म	1 फरवरी से 29 फरवरी	रचनात्मक आंकलन–1	FA-1	कुल पाठ्यक्रम का 15%
	1 मार्च से 31 मार्च	रचनात्मक आंकलन–2	FA-2	
			SA-3	

नोट:

(1) SIQE संचालित विद्यालयों में कक्षा 5 हेतु सम्बन्धित जिले की DIET द्वारा तृतीय योगात्मक आंकलन (SA-3) के स्थान पर **''प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन''** किया जाएगा

(2) प्रत्येक टर्म में क्रमशः FA-1, FA-2, SA का आयोजन किया जाता है।

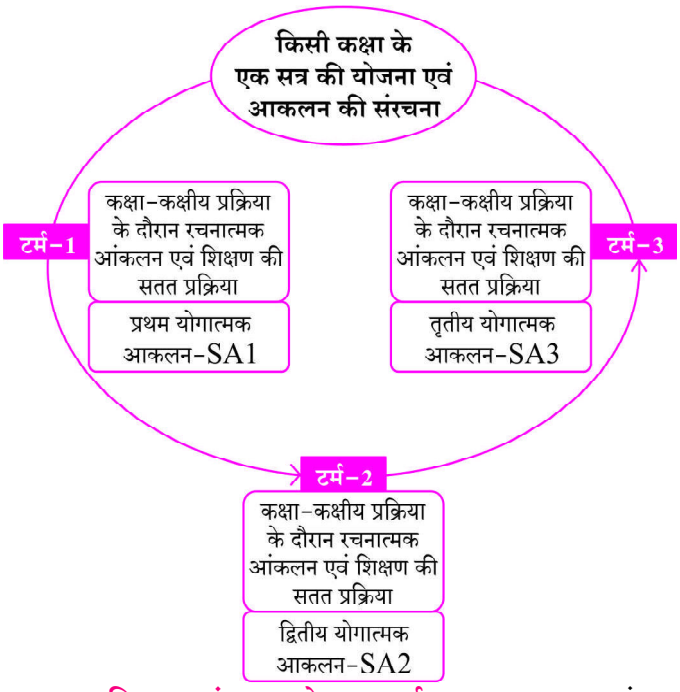

(3) सतत् शिक्षण आंकलन योजना कार्य—अध्यापक द्वारा आंकलन योजना का निर्माण सम्पूर्ण कक्षा, समूह–1 व समूह–2 के लिए पृथक–पृथक शिक्षण की गतिविधियों के अपनाते हुए करना चाहिए।

(4) रचनात्मक आंकलन (Formative Assessment, FS)—अध्यापक द्वारा कक्षा में शिक्षण के दौरान (सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के दौरान) विद्यार्थियों का फीडबैक लेने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को रचनात्मक आंकलन कहते हैं।

(5) योगात्मक आंकलन (Summative Assessment, SA)—मूल्यांकन के विविध टूल्स एवं उपलब्धि स्तर के परीक्षणों का उपयोग करते हुए एक निश्चित अवधि के अन्त में सम्बन्धित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। **इसके लिए रचनात्मक आंकलन, नोटबुक, पोर्टफोलियो, योगात्मक आंकलन टेस्ट का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है।**

(6) कक्षा 5 के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा **''प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन''** तथा कक्षा 8 के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा **''प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा''** दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

CCE हेतु विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री

1. अध्यापक योजना प्रारूप/डायरी।
2. विषयवार, कक्षावार टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका।

13 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग [DIKSHA : Digital Infrastructure for Knowledge Sharing]

DIKSHA

- DIKSHA, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन तथा विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भ किया गया एक डिजिटल राष्ट्रीय प्लेटफार्म है।
- DIKSHA, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् **(NCERT)** तथा **''मानव संस्थान विकास मंत्रालय''**, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक **नवीन पहल** (Initiative) है।

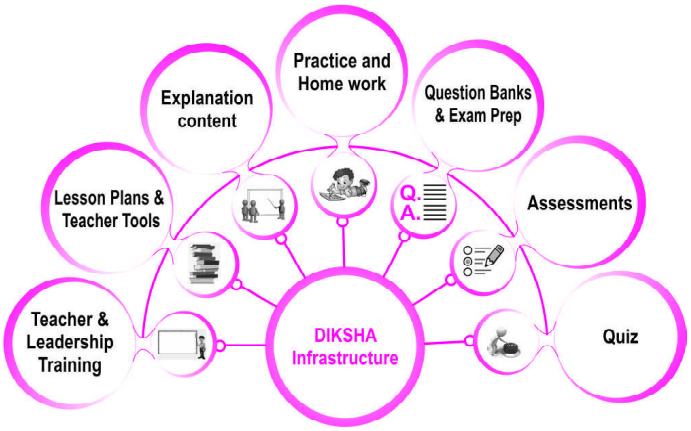

One DIKSHA, Multiple Central and State Programmes

प्रारम्भ

- दीक्षा ओपन सोर्स टेक्नोलाजी पर आधारित **'राष्ट्रीय शिक्षक मंच'** है जिसकी रूपरेखा **मई 2017 में** मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी की गयी।
- DIKSHA का प्रारम्भ **5 सितम्बर 2017** को उपराष्ट्रपति **वैंकेया नायडू** द्वारा किया गया।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति और दृष्टिकोण पत्र में उल्लेखित खुली वास्तुकला, खुली पहुँच, खुली लाइसेंसिंग विविधता, पसंद और स्वायत्तता के मूल सिद्धान्तों के आधार पर विकसित किया गया है।
- राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का मानना है कि राज्य में छात्र के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए, शिक्षक समुदाय इसकी सबसे बड़ी ताकत है और परिवर्तन का सबसे मजबूत लीवर है।
- शिक्षा विभाग ने **NCTE** के साथ मिलकर राइज (Rajasthan Interface for School Educators) का निर्माण किया है।

मुख्य उद्देश्य

- दीक्षा-राइज का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना है जो शिक्षकों को **सशक्त** बनाता है, उन्हें राज्य भर में **सहयोग करने में सक्षम** बनाता है और उनके **व्यक्तिगत** और **व्यावसायिक** विकास को समृद्ध करता है।
- **आदर्श वाक्य**—दीक्षा का आदर्श वाक्य **'हमारे शिक्षक हमारे नायक'** हैं।
- यह सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा अर्थात् पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के लिए है।
- दीक्षा, भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध होगा।
- दीक्षा पोर्टल पर वर्तमान में 18+ भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। तथा इस पर CBSE, NCERT, SCERT तथा राष्ट्रीय खुले विद्यालय (NIOS) के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- दीक्षा को **'मोबाइल एप'** तथा **'वेब ब्राउजर पोर्टल'** (Web Browser Portal) के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है।

DIKSHA- RISE

राइजः राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एज्यूकेटर्स
RISE: Rajasthan Interface for School Educators

- दीक्षा पोर्टल का **राजस्थान संस्करण** 'दीक्षा-राइज पोर्टल' **(DIKSHA-RISE Portal)** है।

दीक्षा पोर्टल की विशेषताएँ

(1) दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए विषय-वस्तु से संबंधित ऑनलाइन शिक्षण व अधिगम सामग्री (Teaching and Learning Contents, TLC) उपलब्ध है।

(2) विषय-वस्तु से संबंधित पाठ्य सामग्री के निर्माण की सुविधा भी उपलब्ध है।

14 स्माइल : सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट
[SMILE : Social Media Interface for Learning Engagement]

स्माइल (SMILE) प्रथम चरण

- वैश्विक महामारी **कोरोना (COVID-19)** के कारण राजस्थान में **मार्च 2020** में **लॉकडाउन** लगाया गया, जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान में विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद की गयी।

- कोरोनाकाल में लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गयी ।
- कोविड के कारण बच्चों की **पढ़ाई बाधित न हो** इसके लिए शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा घर पर रहकर ही कक्षा 1 से 12 के बच्चों को **ऑनलाइन शिक्षा** देने के लिए एक नवाचार के रूप में **स्माइल कार्यक्रम** की शुरुआत **13 अप्रैल 2020** को की गयी। इस कार्यक्रम के तहत **''व्हाट्सएप''** के माध्यम से बच्चों तक शिक्षण सामग्री भेजी गयी।
- **संचालन**—स्माइल कार्यक्रम का प्रथम चरण में संचालन **'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर'** द्वारा किया गया तथा **शिक्षण सामग्री** (ई-कन्टेंट) तैयार करने का कार्य ''राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT)'' उदयपुर द्वारा किया गया।

SMILE कार्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री भेजने के चरण

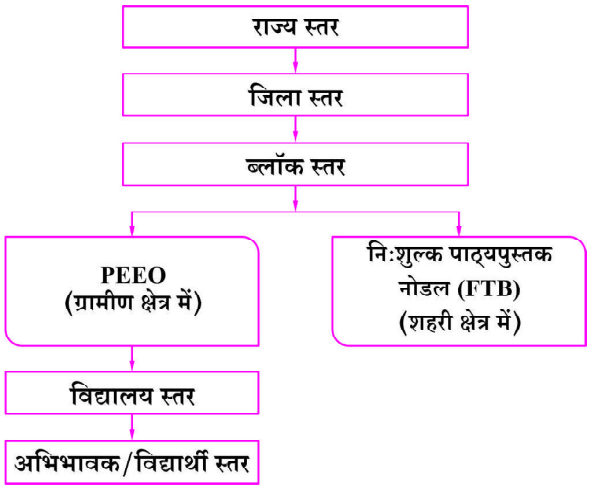

सर्वप्रथम राज्य स्तर के व्हाट्सएप ग्रुपों पर चयनित ई-कंटेंट डाले जाते थे फिर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्रामीण क्षेत्रों मे PEEO स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक नोडल (FTB) स्तर पर, इसके बाद विद्यालय स्तर पर अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रतिदिन **सुबह 9 बजे** शैक्षिक सामग्री भेजी जाती थी जिसमें **कक्षावार लिंक** भेजे जाते थे।

- स्माइल कार्यक्रम के प्रथम चरण में केवल ई-कंटेंट ही भेजने का प्रावधान था। प्रथम चरण में विद्यालय वार ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये थे कक्षावार नही।

स्माइल द्वितीय चरण (स्माइल 2.0)

- स्माइल 2.0 की शुरुआत **2 नवम्बर 2020** को हुई थी। तथा इस चरण में विद्यालय वार व्हाट्सएप ग्रुप के स्थान पर **कक्षावार** (प्रत्येक कक्षा का अलग) व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रावधान किया गया।
- इस कार्यक्रम के शुरु होने तक विद्यार्थियों के पास **पाठ्यपुस्तकें** तथा **कार्यपुस्तिकाएँ** पहुँचने के बाद अध्ययन की प्रतिपुष्टि, निरन्तरता एवं व्यापक पहुँच के लिए 'स्माइल 2.0' प्रारम्भ किया गया, जो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए **गृहकार्य** पर आधारित था।

गृहकार्य

- SMILE 2.0 **में गृहकार्य सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार किये गये**—
  - स्माइल की सामग्री के साथ ही **कक्षा 1 से 5** को सप्ताह में **एक बार (सोमवार को)** तथा **कक्षा 6 से 8** को दो बार (सोमवार तथा बुधवार) व्हॉट्सएप के माध्यम से गृहकार्य पहुँचाया जाएगा।
  - जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है, संस्था प्रधान उन विद्यार्थियों तक गृहकार्य पहुँचाने एवं पुनः संकलित करने की व्यवस्था शिक्षको को उनके घर भेजकर करेंगे।

- जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल सुविधा नहीं, उन्हें शिक्षकों द्वारा विजिट के दौरान प्रिंट क्विज उपलब्ध करवायी गयी तथा इसे रिकॉर्ड में रखा गया।
- जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पा रहे उन्हें शिक्षकों द्वारा सोमवार को प्रिंट क्विज उपलब्ध करवाकर उसी समय वापस लेकर पोर्टफोलियो में रखा गया।
- व्हाट्सएप क्विज के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया गया।

(v) स्माइल 3.0 टीचर–स्टूडेंट कनेक्ट

- शिक्षकों को फोन कॉल अथवा घर विजिट के जरिए **सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना होगा।**
- सभी विद्यार्थियों के फोन नम्बर शाला दर्पण पर अपडेट करने होंगे।

फोन कॉल के दौरान शिक्षक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

(i) विद्यार्थी के स्वास्थ्य की चर्चा करें।
(ii) विद्यार्थी को भेजी गयी सामग्री का उपयोग कर कम से कम प्रतिदिन दो घंटे अध्ययन के लिए प्रेरित करें।
(iii) विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दें तथा पाठ्यपुस्तक का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें।
(iv) विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क की ट्रेकिंग के लिए, शालादर्पण पर उपलब्ध स्माइल मॉडयूल को शिक्षकों द्वारा 15 दिन में एक बार अद्यतन किया जाएगा।

शिक्षा दर्शन (Shiksha Darshan)

❖ कोरोना काल में विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एक **शैक्षिक T.V. कार्यक्रम ''शिक्षा दर्शन''** के नाम से प्रारम्भ किया गया।

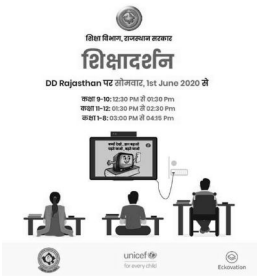

❖ **शुरुआत**–1 जून 2020 से
❖ **प्रसारण**–शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण **''दूरदर्शन राजस्थान''** (D.D. Rajasthan) चैनल पर **सोमवार से शनिवार** तक किया गया।
❖ शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संचालन **''राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्** (RSCERT) **उदयपुर, यूनिसेफ** तथा **शिक्षा विभाग राजस्थान** द्वारा किया गया।
❖ RSCERT के शैक्षिक एवं तकनीकी विभाग द्वारा इसके कार्यक्रम (Content) तैयार किये गये।
❖ **प्रसारण अवधि**–शिक्षा दर्शन कार्यक्रम **कक्षा 1 से 12 तक** के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक **दो स्लॉट** में **कुल 195 मिनट** (3.15 घण्टे) प्रसारित किया गया। दोपहर 12.30 PM से 4.15 PM तक प्रसारण कार्यक्रम इस प्रकार था।

स्लॉट प्रथम (12.30 PM - 2.30 PM)

कक्षा	प्रसारण समय	प्रसारण अवधि
9	12.30 PM से 1.00 PM	30 मिनट
10	1.00 PM से 1.30 PM	30 मिनट
11	1.30 PM से 2.00 PM	30 मिनट
12	2.00 PM से 2.30 PM	30 मिनट

❖ इस प्रकार प्रथम स्लॉट में **कक्षा 9–12** के लिए **2 घण्टे** का कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
❖ इसमें सोमवार से शुक्रवार तक विषय सम्बन्धी सामग्री तथा शनिवार को योग और प्राणायाम, कैरियर पोर्टल से कैरियर की जानकारी, How to make comics तथा How to write a report for T.V से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किये गये।
❖ 2.30 PM से 3.00 PM तक अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

स्लॉट–II (3.00 PM से 4.15 PM)

कक्षा	प्रसारण समय	प्रसारण अवधि
1 से 2	3.00 PM से 3.15 PM	15 मिनट
3 से 5	3.15 PM से 3.30 PM	15 मिनट
6 से 8	3.30 PM से 4.15 PM	45 मिनट

❖ स्लॉट II में कक्षा 1 से 8 तक कुल **75 मिनट** (1 घण्टा 15 मिनट) प्रसारण किया गया। जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण तथा **शनिवार को थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई, How to create botanical illustration, mental health –How to manage your anger, How to make compost, How to make your own organic home cleaner** से संबधित कार्यक्रम प्रसारित किये गये।

ध्येय वाक्य

''बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ
पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ''

- विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर **समानता** तथा **समावेशिता** (Equity and Inclusion) लागू करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), राज्य शैक्षिक संस्थान (SIE) तथा डाइट को सुदृढ़ तथा उन्नत करना।
- विद्यालय शिक्षा को **सुरक्षित तथा संरक्षित** (Safe and Secure) तथा **अनुकूल अधिगम वातावरण** (Conducive learning Environment) के साथ ही विद्यालय मानदण्डों को लागू करना।
- **व्यावसायिक शिक्षा** (Vocational Education) को प्रोत्साहन (कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए)।
- खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन।
- शिक्षक शिक्षा तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।
- शिक्षा के **सतत् विकास लक्ष्य** (Sustainable Development Goals : SDG) के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक स्तर (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) तक समावेशी (inclusive) और समान गुणवत्ता (Equitable Education) वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना। **SDG लक्ष्य 4.1** के अनुसार **2030** तक सभी छात्र-छात्राओं को **समतापूर्ण** तथा **गुणवत्तायुक्त** प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो तथा इसके प्रभावी अधिगम परिणाम भी प्राप्त हों। **SDG लक्ष्य 4.5** के अनुसार **2030** तक शिक्षा के सभी स्तरों पर **लैंगिक भेदभाव समाप्त** करने तथा सभी स्तरों पर **सभी को शिक्षा की समान पहुँच** तथा **व्यावसायिक प्रशिक्षण** भी प्राप्त हो।

समग्र शिक्षा अभियान (समसा) का प्रबंधन व प्रशासन

- राज्य स्तर पर समसा के क्रियान्वयन हेतु **दो समितियाँ** गठित की गयी हैं, जो इस प्रकार हैं—

	1. शासी परिषद् (Governing Council)	2. कार्यकारी समिति (Executive Committee)
अध्यक्ष (President)	**मुख्यमंत्री**	**चेयरमैन/सभापति** : प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग।
उपाध्यक्ष	**शिक्षामंत्री**	**सदस्य सचिव** : राज्य परियोजना निदेशक, समसा
कुल सदस्य	**24**	**33**
कार्य	राज्य स्तर पर समसा योजना की समग्र रूपरेखा (Overall frame work) के संदर्भ में **वित्तीय** एवं **क्रियान्वयन** मानदण्डों को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश देना तथा उन्हें परिवर्तित करना। यह राज्य स्तर पर नीति निर्माण हेतु सर्वोच्च संस्था है।	शासी परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन परिषद् के मामलों को प्रशासित (Administered) करना। इस प्रकार कार्यकारी समिति का सम्बन्ध क्रियान्वयन से है।

Note : केन्द्रीय स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा मंत्री) भारत सरकार होंगे।

समसा का संगठनात्मक ढाँचा (Organizational Structure : SMSA)

- समग्र शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर, संभाग स्तर (Division Level), जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढाँचा बनाया गया है।

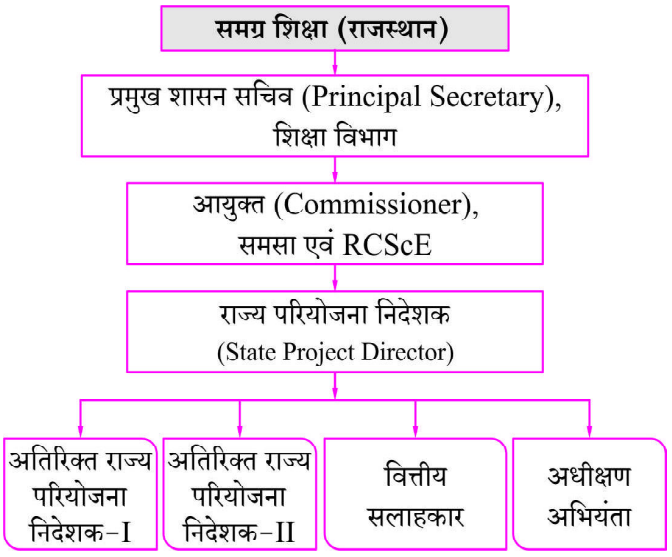

4. निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया था?

(A) डा. जाकिर हुसैन (B) डा. राजेन्द्र प्रसाद
(C) महात्मा गाँधी (D) रवीन्द्रनाथ टैगोर **[C]**

व्याख्या—आज जिसे फाउंडेशन कोर्स की संज्ञा दी जाती है। उसकी सर्वप्रथम पृष्ठभूमि में गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा ही थी। उनका मत था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ कुछ धन भी कमा लेना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य से गाँधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना बनाई थी। इसमें यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहायता दी उसके अध्यक्ष थे

(A) प्रो. यशपाल (B) प्रो. यू.आर. राव
(C) प्रो. हरि गौतम (D) प्रो. वेद प्रकाश **[A]**

6. एन.सी.एफ. 2005 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में कौनसा कथन अधिक उपयुक्त है?

(A) ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटन्त प्रणाली से मुक्त हो।
(C) पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न हो।
(D) सभी वाक्य सही हैं। **[D]**

व्याख्या—राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है। इसके मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्न हैं—

(i) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए।
(ii) पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त किया जाए।
(iii) पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रहे।
(iv) कक्षाकक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए।
(v) विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ा जाए।

7. निम्नांकित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(A) वुड्स डिस्पैच 1854
(B) हार्टोज समिति 1929
(C) हंटर कमीशन 1882-1883
(D) सेडलर विश्वविद्यालय कमीशन 1858 **[D]**

8. मिड डे मील योजना का उद्देश्य है—

(A) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनिकरण।
(B) विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना।
(C) ड्रॉप आउट दर को कम करना।
(D) उपरोक्त सभी। **[D]**

9. प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में 'नो बैग डे' 15 अक्टूबर 2020 से चालू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है—

(A) गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना।
(B) छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
(C) छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से अभ्यास करवाना।
(D) छात्रों को वर्कबुक से अभ्यास करवाना। **[A]**

10. स्टार कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन है—

(A) उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना।
(B) इसकी शुरूआत 21 जनवरी 2022 को हुई।
(C) यह कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से संबंधित है।
(D) कोविड के कारण उत्पन्न लर्निंग गैप को कम करना। **[C]**

11. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS 2021) का आयोजन कितनी भाषाओं में किया गया?

(A) 22 (B) 18
(C) 24 (D) 8 **[A]**

12. शगुन पोर्टल का प्रारम्भ कब हुआ?

(A) 28 अगस्त 2019 (B) 28 जून 2019
(C) 28 मई 2018 (D) 28 अगस्त 2016 **[A]**

13. 'नो बैग डे' शनिवार को किस नाम से जाना जाता है?

(A) संभावनाओं का शनिवार।
(B) उपेक्षाओं का शनिवार।
(C) आनंद का शनिवार।
(D) खेल का शनिवार। **[A]**

14. पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु निम्न में से असंगत युग्म कौनसा है?

(A) किलकारी वर्कबुक 3 से 4 वर्ष
(B) उमंग वर्कबुक 4 से 5 वर्ष
(C) तरंग वर्कबुक 5 से 6 वर्ष
(D) मेरी फुलवारी टेक्स्ट बुक 6 से आठ वर्ष **[D]**

लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में।

- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की **विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान**, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है।
- **सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन,** साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखना-यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।
- स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल तथा शिक्षा से।
- **शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना**— उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति।
- शैक्षिक प्रणाली की **अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता** ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक **'हल्का, लेकिन प्रभावी' नियामक ढाँचा**-साथ ही साथ **स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण** के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए **उत्कृष्ट स्तर का शोध।**
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा।
- **भारतीय जड़ों और गौरव से बँधे रहना** और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना।
- **शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है;** गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
- **एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश**— साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन (उद्देश्य)

भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

- इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर **'शिक्षा मंत्रालय'** कर दिया गया है।

स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित सुधार

- यह नीति वर्तमान की 10 + 2 वाली स्कूली व्यवस्था को **3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों** के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर **5 + 3 + 3 + 4** की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गयी आकृति में दिया गया है।

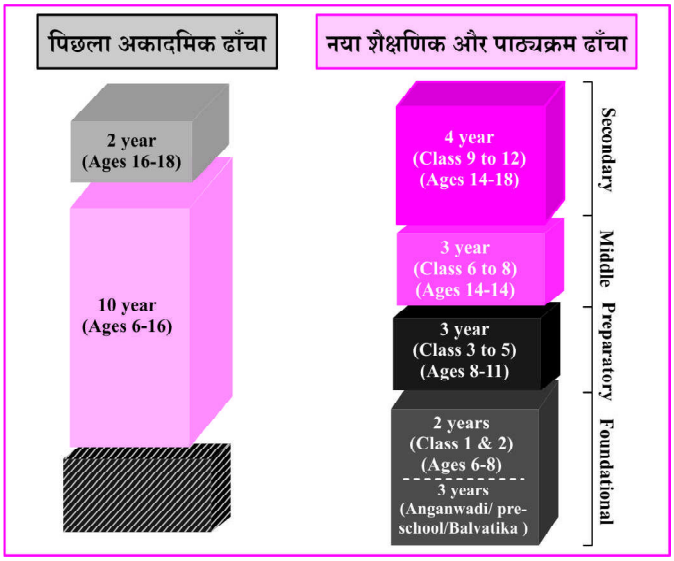

- वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 + 2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5 + 3 + 3 + 4 ढाँचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा

	स्तर	चरण	आयु	कक्षा
1.	5 वर्षीय	फाउंडेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाड़ी/प्री. स्कूल/बालवाटिका
		फाउंडेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	कक्षा 1 व 2
2.	3 वर्षीय	प्राथमिक स्तर (Preparatory)	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3.	3 वर्षीय	माध्यमिक स्तर (Middle)	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4.	4 वर्षीय	सैकण्डरी स्तर (Secondary)	14-18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

- प्री-प्राइमरी कक्षा के लिए **बस्ता अनिवार्य नहीं** होगा।

अध्याय-1
प्रारम्भिक (धारा 1 से 2 तक)

धारा-1 : संक्षिप्त नाम - विस्तार और आरम्भ

(1) **संक्षिप्त नाम**—"निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009" है।

(2) यह **जम्मू-कश्मीर** के अलावा सम्पूर्ण भारत में **1 अप्रैल 2010** से लागू होगा।

(3) यह भारत सरकार द्वारा राजपत्र में घोषित तारीख से लागू होगा।

(4) संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में लागू होंगे।

(5) मदरसों, वैदिक पाठशालाओं व धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं।

धारा-2 : परिभाषाएँ

(क) समुचित सरकार से आशय—स्कूल के सम्बन्ध के **केन्द्र सरकार**, **राज्य सरकार**, **संघ राज्य सरकार** होगा। (जिन केन्द्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो।)

(ख) प्रति व्यक्ति शुल्क—(Capitation fee) से आशय विद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का दान, योगदान या भुगतान से है।

(ग) बालक से आशय—6 से 14 वर्ष के बालक व बालिका दोनों से है।

(घ) असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित बालक से आशय—SC/ST/सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, HIV व कैंसर से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, निःशक्त बच्चे जिनके या समुचित सरकार द्वारा घोषित तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषा एवं लिंग के आधार पर घोषित बालक।

(ङ) दुर्बल वर्ग से आशय—समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम वार्षिक आय वाले माता-पिता/अभिभावक के बच्चे जिनके वर्तमान में माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय **2.50 लाख रुपये** से कम होनी चाहिए।

(च) प्रारम्भिक शिक्षा से आशय—कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है।

(छ) संरक्षक से आशय—जो बच्चे की देखभाल एवं सुरक्षा करता हो, (बच्चे के प्राकृतिक माता-पिता, गोद लिये माता-पिता।)

(झ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-3 के अधीन गठित।

(ञ) विद्यालय से आशय—कक्षा 1 से 8 तक संचालित विद्यालय निजी, सरकारी, अनुदानित, विशेष श्रेणी के विद्यालय (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय)।

(ट) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से आशय—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-17 के अधीन गठित आयोग।

अध्याय-2
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (धारा 3 से 5 तक)

धारा-3 : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(1) **6 से 14** वर्ष के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा अपने पड़ौस के किसी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें धारा 2 (घ) एवं 2 (ङ) में विनिर्दिष्ट बालक भी शामिल होंगे।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से किसी प्रकार की **फीस या व्ययों** का भुगतान नहीं लिया जाएगा।

(3) **निःशक्तता** से ग्रस्त किसी बालक को भी "Persons with Disabilities Act, 1995 के अध्याय V के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा तथा **बहु-निःशक्तता** व **गंभीर बहु-निःशक्तता** वाले बालकों को भी घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

धारा-4 : प्रवेश न दिये गये बालकों या जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध

- 6 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बालक जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं है या बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया हो तो ऐसे बालकों को आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
  जैसे 9 वर्ष की आयु है तो कक्षा 4 में प्रवेश।
- आयु अनुसार प्रवेश देने के बाद अन्य बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- यदि किसी बालक की अधिक उम्र होने के कारण बाद में निम्न कक्षा में प्रवेश दिया गया हो तो उसे 14 वर्ष आयु के बाद भी निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलेगा।
  नोट 2016 से प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दी गयी है।

धारा-5 :अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार

- किसी भी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं हो या अन्य कोई कारण हो तो छात्र या अभिभावक द्वारा माँगने पर संस्था प्रधान द्वारा छात्र को तुरन्त T.C. देनी होगी। T.C. नहीं देने अथवा अनावश्यक देरी करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालय के लिए मान और मानक

(धारा 19 व 25 के अनुसार)

क्र.सं.	मद	मान और मानक	
1.	**शिक्षकों की संख्या**	**बालकों की संख्या**	**शिक्षकों की संख्या**
	(1) कक्षा 1 से 5 तक (प्राथमिक स्तर)	60 तक	2
		61 से 90	3
		91 से 120	4
		121 से 200	5
		150 से अधिक	5 शिक्षक + 1 प्रधानाध्यापक
		200 से अधिक	छात्र शिक्षक अनुपात (H.M. को छोड़कर 40:1 से अधिक नहीं होगा) परन्तु 200 से कम बालक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 30 : 1 होगा।
	(2) कक्षा 6-8 हेतु (उच्च प्राथमिक स्तर)	1. कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक हो— (i) विज्ञान और गणित (ii) सामाजिक अध्ययन (iii) भाषा 2. छात्र शिक्षक **अनुपात 35 : 1** होगा। (35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक) 3. **जहाँ 100** से अधिक बालक हों, वहाँ निम्न भी होंगे— (i) एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक (अ) कला शिक्षा (ब) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (स) कार्य शिक्षा (Work Education)	
2.	भवन (अवसंरचना मापदण्ड)	सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम कक्षा और एक कार्यालय सह-भण्डार सह प्रधानाध्यापक का कमरा 2. बाधा मुक्त पहुँच 3. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय 4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा; 5. जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहाँ **एक रसोई** 6. खेल मैदान 7. सीमा दीवाल या तारों की बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएँ।	
3.	एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटों की **न्यूनतम संख्या**	**कक्षा 1 से 5 हेतु** **कार्य दिवस : 200 प्रतिवर्ष** **शिक्षण घण्टे : 800 प्रतिवर्ष** **कक्षा 6 से 8 हेतु** **कार्य दिवस : 220 प्रतिवर्ष** **शिक्षण घण्टे : 1000 प्रतिवर्ष**	
4.	शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घण्टों की संख्या	**45 शिक्षण घण्टे प्रति सप्ताह तैयारी सहित**	
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध करवाए जाएँगे।	
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं उपलब्ध होंगी।	
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएँगे।	

20 संक्षिप्त शब्दावली [Abbreviations]

ACBEO – **Additional Chief Block Education Officer** (अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)

ADEO – **Additional District Education Officer** (अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी)

ADPC – **Additional District Project Coordinator** (अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक)

ABL – **Activity Based Learning** (गतिविधि आधारित अधिगम)

BALA – **Building as Learning Aid** (शिक्षण सहायक के रूप में भवन)

BRCF – **Block Resource Centre Facilitator** (ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

BSTC – **Basic School Teaching Certificate** (मौलिक विद्यालय शिक्षक सर्टिफिकेट)

BRC – **Block Resoure Centre** (ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र)

BEEO – **Block Elementary Education Officer** (ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी)

B.P.Ed – **Bachelor of Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में स्नातक)

CBEO – **Chief Block Education Officer** (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)

CTE – **College of Teacher Education** (शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय)

CCP – **Child Centered Padagogy** (बाल केन्द्रित शिक्षाशास्त्र)

CCE – **Continuous and Comprehenshive Evaluation** (सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन)

CDEO – **Chief District Education Officer** (मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी)

C.P.Ed – **Certificate in Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र)

CWSN – **Children with Special Needs** (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

CRC – **Cluster Resource Centre** (संकुल संदर्भ केन्द्र)

CRCF – **Cluster Resource Centre Facilitator** (संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

CLICK – **Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge**

D.El.Ed. – **Diploma in Elementary Education** (प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा)

DD – **Deputy Director** (उप निदेशक)

DEO – **District Education Officer** (जिला शिक्षा अधिकारी)

DIET – **District Institute for Education and Training** (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)

DISE – **District Information System for Education** (शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र)

DPC – **District Project Coordinator** (जिला परियोजना समन्वयक)

IASE – **Institute of Advanced Studies in Education** (उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान)

JD – **Joint Director** (संयुक्त निदेशक)

M.P.Ed – **Maters of Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में अधिस्नातक)

MDM – **Mid Day Meal** (मध्याह्न भोजन योजना)

MHRD – **Ministry of Human Resource Development** (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

NCERT – **National Council Educational Research and Training** (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

NCF – **National Curriculum Framework** (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना)

NCTE – **National Council of Teacher Education** (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद)

NTSE – **National Talent Search Examination** (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा)

NUEPA – **National University of Education Planning and Administration** (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालय)

PRC – **Panchayat Resource Centre** (पंचायत संदर्भ केन्द्र)

PRCF – **Panchayat Resource Centre Facilitator** (पंचायत संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

PEEO – **Panchayat Elementary Education Officer** (पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी)

RES – **Rajasthan Education Service** (राजस्थान शिक्षा सेवा)

RIE – **Regional Institute of Education** (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान)

RSTB – **Rajasthan State Text Book Board** (राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल)

RSOS – **Rajasthan State Open School** (राजस्थान राज्य खुला विद्यालय)

RP – **Resource Person** (संदर्भ व्यक्ति)

RMSA – **Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan** (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

RSCERT – **Rajasthan State Council of Educational Research and Training** (राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)

RTE – **Right to Free and Compulsory Education Act.** (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम)

SDMC – **School Development and Management Committee** (विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति)

SEMIS – **Secondary Education Management Information System** (माध्यमिक शिक्षा प्रबन्धन सूचना तंत्र)

SIE – **The State Institute of Education** (राज्य शिक्षा संस्थान)

SMC – **School Management Committee** (विद्यालय प्रबन्धन समिति)

SMSA – **Samagra Shiksha Abhiyan** (समग्र शिक्षा अभियान)

SSA – **Sarva Shiksha Abhiyam** (सर्व शिक्षा अभियान)

SFG – **School Facility Grant** (विद्यालय सुविधा अनुदान)

SIQE – **State Intiative for Quality Education** (गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल)

SIERT – **State Institute of Educational Research and Training** (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)

SIEMAT – **State Institute of Educational Management and Training** (राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान)

SCERT – **State Councial of Educational Research and Training** (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

TE – **Teacher Education** (शिक्षक शिक्षा)

U-DISE – **Unifield District Information System for Education** (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

लेखक परिचय

डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा

लेखक डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा (RES) का जन्म सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं, जिला-जयपुर, राजस्थान में हुआ। आप प्रारम्भ से ही मेधावी विद्यार्थी रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से भूगोल विषय में प्रथम श्रेणी से **M.A.** करने के उपरान्त आपने भूगोल विषय में **SET, NET–JRF, Ph.D.** किया है। आप पिछले 10 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में आप 'शिक्षा विभाग, राजस्थान' में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं।

प्रस्तुत पुस्तक ''शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन'' में नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेश/निर्देशानुसार तथ्यों का संकलन कर पाठ्य-सामग्री का समावेश किया गया है।

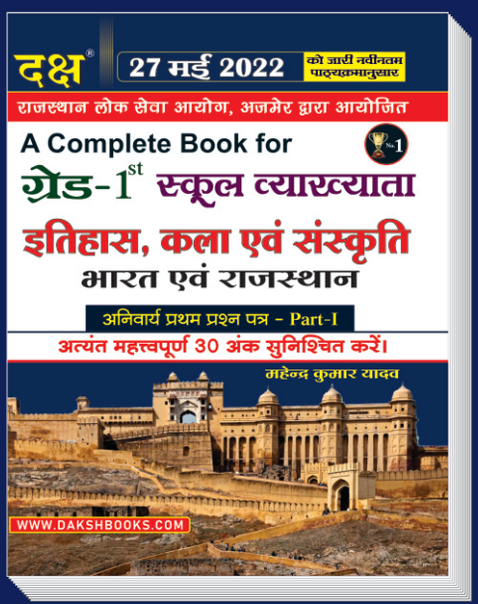

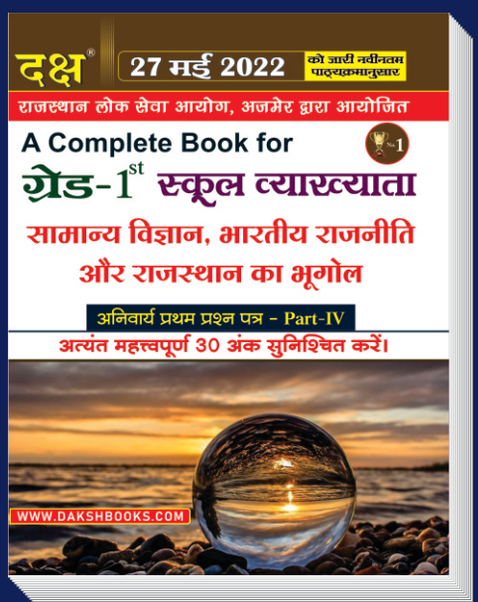

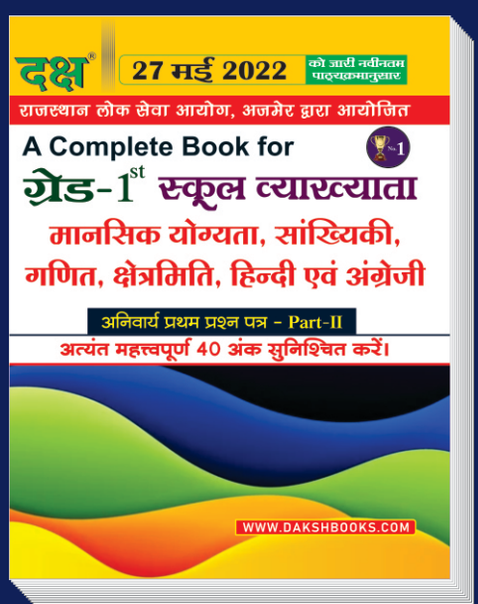

दक्ष प्रकाशन

(A Unit of College Book Centre)

A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)

फोन नं. 0141-2604302

Code No. D-619 | ₹ 250/-